Seventeenth Loksabha

an>

Title: Issue regarding alleged removal of state's officers by Chhattisgarh Government.

श्री संतोष पाण्डेय (राजनंदगाँव): सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी की जा रही है और मूल्यों पर आधारित संस्थाओं को धवस्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है । 29 जुलाई 2019 को सहकारी चुनाव आयुक्त श्री गणेश शंकर मिश्रा, जो सेवानिवृत्त हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे, उनको अवैधानिक ढंग से, नियम परिवर्तित करके, षड्यंत्र करके हटा दिया गया । वर्ष 2011 में तत्कालीन भारत सरकार ने संविधान में 97वां संशोधन पारित कर शक्ति विकेन्द्रीकरण की गांधीवादी नीति का विस्तार करते हुए सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया था ।

महोदय, अपने दलीय और अपने दल के लोगों को बिना किसी निर्वाचन प्रक्रिया के वह सरकार बैठना चाहती है और आयुक्त द्वारा लंबित चुनाव को कराए जाने से यह संभव नहीं हो पाता ।

माननीय सभापति : आप अपनी डिमांड रखिए ।

श्री संतोष पाण्डेय : महोदय, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर गांधीवादी मूल्यों पर आधारित प्रावधानों को ताक पर रखकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में अराजकता का माहौल निर्मित किया जा रहा है ।

महोदय, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता श्री कनक तिवारी को भी इसी प्रकार हटाया गया था । पेपरों में छपा था कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है उनको हटाया गया है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस पर कार्रवाई की जाए ।